राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 159वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक **28.11.2023** को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की **159वीं** बैठक **श्री अजय कुमार खुराना**, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में श्री श्रीकान्त नामदेव, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार, श्री भवानी सिंह देथा, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, श्रीमती मंजु राजपाल, राज्य परियोजना निदेशक, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार, श्री नवीन नंबियार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, श्री विकास अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, डॉ मुकेश कुमार शर्मा, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर, डॉ. राजीव सिवाच, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, जयपुर, श्री हर्षदकुमार टी. सोलंकी, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम मंच पर विराजमान गणमान्य उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारी-गण, दोनों ग्रामीण बैंको के अध्यक्ष, सभी बैंकर्स, बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं समिति की बैठक में पधारे समस्त अतिथियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 159वीं बैठक में स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होने सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

- **R-SETI Training Programmes**: उन्होने सभी आर-सेटी संयोजक बैंकों से अनुरोध किया कि संबन्धित आर-सेटी की प्रभावशाली मोनिटरिंग करें एवं आर-सेटी निदेशकों को निर्देशित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उच्च आय प्रदान करने वाले कौशलों एवं उद्यमों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त आर-सेटी संयोजक बैंक)

- **Expanding & Deepening of Digital Payments Ecosystem:** उन्होने सभी बैंकों एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र दिनांक 09.08.2023 की अनुपालना में, उचित कार्ययोजनना बनाते हुए, राज्य को 100% डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में सक्रियता से प्रयास करें।
- **स्वयं सहायता समूह**- बैंक शाखाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते खोलते समय समूह के सभी सदस्यों के दस्तावेज़ मांगना, बार-बार सदस्यों को बैंक शाखाओं में बुलाये जाने वाले प्रकरण सामने आए हैं। नियमानुसार स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों के ही दस्तावेज़ एवं शाखा में उपस्थिती अनिवार्य है। बैंकों से अनुरोध कि शाखाओं को यथानुसार निर्देशित करें। साथ ही प्रथम एवं द्वितीय डोज़ में न्यूनतम निर्धारित ऋण राशि क्रमशः रु 1.50 लाख व रु 3.00 लाख प्रदान करना एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को राज्य एवं केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
- **'पीएम विश्वकर्मा योजना'** - 'पीएम विश्वकर्मा योजना' की शुरुआत दिनांक 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 'विश्वकर्मा' के रूप में संदर्भित पारंपरिक कारीगरों (लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि जैसे व्यवसायों में लगे हुए) के विकास को बढ़ावा देना/ सहायता करना है। प्रारंभ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार इस योजना में -18- व्यवसायों के सभी दस्तकारों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है एवं योजना में 1st tranche में रु. 1.00 लाख व 2nd tranche में रु. 2.00 लाख, कुल राशि रु. 3.00 लाख का ऋण प्रदान किया जायेगा।

उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे राज्य के विकास हेतु **केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं** में अपना योगदान प्रदान करें। एमएसएमई एवं कृषि से संबन्धित प्रमुख योजनाओं का समर्थन करने से न केवल हमारे Micro Enterprises के Portfolio में वृद्धि होगी बल्कि राज्य में रोजगार एवं कृषि से जुड़ी अधिकतम निवासियों का समग्र आर्थिक विकास होगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

तत्पश्चात उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में मंचासीन सभी गणमान्य अथितियों एवं अन्य हितधारकों के अधिकारियों एवं राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होने सदन को संबोधित करते हुए निम्नानुसार अवगत कराया–

- सभी बैंकों से अनुरोध है की governance के 3 घटकों robust risk management, compliance culture (including ethics), और internal audit को रोज़ की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाएँ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए वित्तीय मापदंडों में और सुधार जारी रहे।
- वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 01 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक "घर घर केसीसी अभियान" शुरू किया गया है जिसके तहत सभी पात्र पीएम किसान के लाभार्थी किसानों को फसल की खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदि के लिए किसान क्रेडिट ऋण प्रदान किया जावेगा।
- वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने 01.10.2023 से 31.12.2023 तक सभी जिलों में ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर जन सुरक्षा योजनाओं (PMJJBY और PMSBY) के तहत संतृप्ति के लिए 3 महीने का अभियान शुरू किया है।
- सभी सदस्य बैंकों एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि वे उक्त अभियानों को सफल बनाने के लिए अधिकतम प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

आगे उन्होने राजस्थान के कुछ **नवीनतम घटनाक्रमों** पर प्रकाश डालते हुए सूचित किया कि-

- राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के पश्चात 19 नए जिले बनाए गए हैं और फलस्वरूप राज्य में जिलों की संख्या बढ़ाकर 50 हो गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए जिलों हेतु लीड बैंक का चयन कर लिया है। सभी चयनित लीड बैंक नए जिलों में शीघ्र ही अग्रणी जिला कार्यालय की स्थापना करें एवं अन्य सभी बैंकों से अनुरोध है कि नए जिलों में ज़िला समन्वयक एवं उनके पूर्तिकर चिन्हित करने का कार्य शीघ्र पूर्ण करें जिसकी प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक को भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही: एसएलबीसी एवं समस्त सदस्य बैंक)

- **Brick & Mortar Branches**: DFS के निर्देशों के अनुसार, राजस्थान में Brick and Mortar Branch खोलने के लिए **95 Locations** को चिन्हित किया गया है। जिनमें से **89** Locations पर शाखाएं पहले से कार्यरत हैं अथवा आवंटन के बाद खोली गई हैं। सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि वे आवंटित शेष **6 Locations** पर जल्द से जल्द Branch खोलें।
- DFS द्वारा **13** गांवों की सूची प्रदान की गयी है जिनकी जनसंख्या 3,000 से अधिक है लेकिन वहां Brick and Mortar Branch नहीं है जिनमे संबन्धित बैंकों को 31.12.2023 तक Brick and Mortar Branch खोलने हेतु निर्देशित किया गया था। जिनमें से **7 Locations** पर शाखाएं पहले से कार्यरत हैं अथवा आवंटन के बाद खोली गई हैं। सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि वे आवंटित शेष **6 Locations** पर जल्द से जल्द Branch खोलें।
- वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा 17.03.2023 को राज्य के **180** गांवो की सूची प्रदान की गयी है जो कि किसी भी Banking Outlet से covered नहीं है। अभी तक इनमें से **175** गांवो को Banking Outlet से covered कर दिया गया है एवं **5** केंद्र कवर करने हेतु लंबित हैं।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने राज्य में बैंकों के विभिन्न **key indicators जैसे Business Growth, Priority Sector Lending आदि** की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए सूचित किया कि-

- सितंबर, 2023 के अंत में राज्य के सभी बैंकों का Total Business **रु 12.57 लाख करोड़** पहुंच गया है। बैंकों ने Deposit में **13.53%** की Y-o-Y Growth की है और Advances में **24.11%** की Y-o-Y Growth की है।
- राज्य का CD Ratio सितम्बर, 2023 तक **93.18%** है और यह RBI Benchmark से काफी ऊपर है। **Advances to Priority Sector** ने **20.50%** की Y-o-Y Growth की है। Agriculture Advances में **12.01%** की Y-o-Y Growth हुई है जिसमे निवेश कृषि ऋण पर ध्यान देते हुए और सुधार करने की आवश्यकता है एवं MSME Advances में **29.15%** की Y-o-Y Growth हुई है जो सराहनीय है।

- Financial Year 2023-24 में सितम्बर, 2023 तक **Total Priority Sector** के ACP के लक्ष्यों के सापेक्ष Achievement **64.93%** है। **MSME** के ACP मे Achievement **94.04%** और **Agriculture** के ACP में Achievement **52.58%** है।

उन्होने सभी बैंकों से निम्न बिन्दुओ पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया:

- KCC Saturation Drive में सभी पात्र किसानों को फसल एवं पशुपालन हेतु KCC Card दिया जाना।
- कृषि क्षेत्र में Investment Credit में 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करना।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण एवं स्वीकृत ऋण आवेदनों में समय पर ऋण वितरित कराना।
- 'Digital Financial Literacy' एवं cyber security संबन्धित जागरूकता के प्रसार पर ध्यान दें।
- निर्धारित समय सीमा में राज्य के सभी जिलों को 100% डिजिटल ज़िला बनाते हुए राज्य को 100% डिजिटल राज्य बनाना।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- 06 माह में MSME को दिये गए लक्ष्यों की उच्च उपलब्धि को देखते हुए SLBC द्वारा इन लक्ष्यों की समीक्षा की जा सकती है। ACP 2024-25 को औपचारिक रूप प्रदान करते समय इसपर ध्यान दिया जा सकता है।

(कार्यवाही: एसएलबीसी)

अंत में उन्होने **राजस्थान सरकार के पास समाधान हेतु लंबित बैंकों से संबन्धित मुद्दों** पर बैठक के दौरान राज्य सरकार से उचित समाधान प्राप्त होने की आशा व्यक्त की।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- वर्ष 2047 तक भारत सरकार ने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है जो बैंकों और बीमा कंपनियों के माध्यम से साकार हो रहा है। इस उद्देश्य से सरकारी योजनाओं का पैसा वंचितों तक पहुंचाने एवं वित्तीय समावेशन व डिजिटलीकरण के कार्य करने में बैंकों और बीमा कंपनियों की मुख्य भूमिका है।
- भारत एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाकर इनमे संतृप्ति उपलब्ध करने का बैंक प्रयास करें।
- पीएम विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन हेतु जमा खातों का पुष्टीकरण प्रक्रियाधीन है, जिसमे गति लाने का सभी बैंकों से अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- चयनित केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टार शाखा खोला जाना सभी संबन्धित बैंक सुनिश्चित करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गत 2 तिमाहियों से आवंटित केन्द्रों पर शाखा खोले जाने में कोई प्रगति नहीं की गयी है जो स्वीकारीय नहीं है। यदि किसी बैंक को ब्रिक और मोर्टार शाखा खोलने में समस्या आ रही है तो राज्य सरकार/ स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त करें।

(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

- पंचायती राज स्तर पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'स्वामित्व' योजना के तहत ग्रामीण आबादी को उनकी ग्रामीण संपत्ति के लिए Property Card जारी किया जावेगा जिसके आधार पर उन्हे बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया में रह गयी त्रुटियों का निराकरण करना आवश्यक है।

(कार्यवाही: भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार)

- राज्य सरकार से अनुरोध है कि सरकारी योजनाओं के तहत दिये गए ऋणों की वसूली करने में तथा राको-रोडा व सरफेसी में लंबित वसूली के मामलों का शीघ्र निपटान करवाने में बैंकों को आवश्यक सहयोग एवं संबन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करें।
- राज्य में बैंकों से संबन्धित कई मुद्दे, जो राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं तथा जिनमे लंबे समय से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है अथवा कार्यवाही की गति धीमी है, उनमे यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राजस्व विभाग से अनुरोध है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- सभी सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों के पास लंबित आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करें तथा स्वीकृत ऋण आवेदनों में जल्द-से-जल्द ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि करना सुनिश्चित करें।
- कुछ बैंकों द्वारा आवंटित केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोले जाने में कोई प्रगति नहीं की गयी है जो चिंतनीय है। यदि किसी बैंक को ब्रिक और मोर्टार शाखा खोलने में समस्या आ रही है तो राज्य सरकार/ स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त करें।
- बैंकों से अनुरोध है कि डिजिटल साक्षारता को बढ़ावा देने के साथ इससे संबन्धित जोखिमों के बारे में भी ग्राहकों को जागरूक करें।
- डीसीसी/ डीएलआरसी बैठकों की गुणवत्ता एवं इनमे बैंकों एवं सरकारी विभागों द्वारा उचित सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। एसएलबीसी द्वारा तिमाही में हुए बीएलबीसी एवं डीसीसी/डीएलआरसी बैठकों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही बैंक मित्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उनके द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु बैंकों द्वारा उचित कदम उठाए जाएँ।
- सभी बैंक अधिक से अधिक IIBF प्रमाणीकृत स्वयं सहायता सहूम की महिलाओं को बैंक सखी के रूप में नियुक्त करने का प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य परियोजना निदेशक, राजीविका को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

राज्य परियोजना निदेशक, राजीविका ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- स्वयं सहायता समूह अभियान के तहत राज्य संतृप्ति स्तर के निकट है, जिसके लिए बैंकों को धन्यवाद है।
- राज्य में स्वयं सहायता समूहों को लगभग 1,000 Cluster Level Federations (CLF) में सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने हेतु वह ग्रामीण विकास विभाग एवं राजीविका, राजस्थान सरकार का सहयोग प्राप्त करें जिससे इन CLFs के माध्यम से ग्रामीणों को संबंधित योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि स्वयं सहायता समूहों के लंबित बचत खातों एवं ऋण के लंबित आवेदनों का जल्द-से जल्द निपटान करें तथा स्वीरित ऋण आवेदनों में समय से ऋण वितरण करें। साथ ही पहली डोज़ में कम से कम रु 1.5 लाख एवं दूसरी डोज़ में कम से कम रु 3 लाख का ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें।
- पोर्टल पर सूक्ष्म उद्योगों के लगभग 2,600 आवेदन लंबित है, जिनका शीघ्र निस्तारण करने का बैंकों से अनुरोध है।
- राजीविका द्वारा नियोजित स्वयं सहयात समूहों का NPA लगभग 1% हैं किन्तु पोर्टल से संबन्धित मंत्रालय को प्राप्त होने वाले डाटा के अनुसार राज्य में स्वयं सहयात समूहों का NPA लगभग 3% हैं। बैंकों से अनुरोध है कि वे उन स्वयं सहायता समूहों का विवरण प्रदान करें जो राजीविका से संबंधित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें ऋण प्रदान किया गया है, जिससे राजीविका इन स्वयं सहायता समूहों से ऋण वसूली करने में बैंकों की सहायता कर सके।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- राज्य में वित्तीय समावेशन में और गति लाने की आवश्यकता है।

- सरकारी योजनाओं के तहत राज्य का प्रदर्शन कई अन्य राज्यों से सराहनीय है, जैसे स्वयं सहायता समूहों का credit linkage, डिजिटलीकरण, केसीसी संतृप्ति इत्यादि।
- राज्य में वाणिज्यिक बैंकों में लगभग 80,000 कर्मचारी कार्यरत है। राज्य की जन-संख्या लगभग 8 करोड़ है एवं घरों (households) की संख्या लगभग 1.6 करोड़ है। अतः प्रति कर्मचारी 200 घरों को मैप किया जा सकता है। इस कार्य में प्रभावकारिता लाने हेतु human resource की सुव्यवस्था एवं सुनियोजन किया जाना आवश्यक है। साथ ही राज्य में लगभग 80,000 बैंक मित्र उपलब्ध हैं जिनका सहयोग वित्तीय समावेशन हेतु आवश्यक है।
- बैंकों में मौजूद स्टाफ द्वारा सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीके से कार्य करने के लिए निम्न जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है-
  - कितने घर औपचारिक संस्थागत वित्तपोषण से वंचित है?
  - कितने घरों में smartphone एवं internet connection उपलब्ध नहीं है?
  - समय एवं दूरी के आधार पर निकटतम banking outlet कहाँ उपलब्ध है?
  - अंतिम बार बैंक मित्र ने कब विजिट किया एवं कितनी बार विजिट किया?
  - कितने पात्र व्यक्तियों ने अन-औपचारिक चैनल से ऋण लिया है, जिन्हे औपचारिक संस्थागत ऋण दिया जा सकता है।

(कार्यवाही: भारतीय रिजर्व बैंक एवं एसएलबीसी)

- राज्य में क्रेडिट पेनीट्रेशन की वस्तुस्थिति जानने के लिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों का सहयोग लिया जा सकता है।
- उक्त सूचनाओं से राज्य एवं केंद्र सरकारों को विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे कार्य की वास्तविक स्थिति एवं वार्षिक साख योजना बनाने हेतु राज्य में उपलब्ध संभाव्यताओं का ज्ञान होगा।
- प्रति व्यक्ति जमा एवं ऋण में राज्य के बाड़मेर एवं धौलपुर ज़िले न्यूनतम 10% जिलों में आते हैं। राज्य में ऋण उपलब्धता बढ़ाने एवं ऋण की लागत कम करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: एसएलबीसी एवं समस्त सदस्य बैंक)

- साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्तीय साक्षारता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- समस्त आर-सेटी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार प्रतिशत मात्र 16% है। अतः सभी आर-सेटी संयोजक बैंक संबन्धित आर-सेटी में रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करवाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त आर-सेटी संयोजक बैंक)

- राज्य में वित्तीय समावेशन संबंधी योजनाएं, राज्य के कुछ क्षेत्रों में कम-घनत्व की और दूर दूर बसी हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड को बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण दिया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि-

- राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में वार्षिक साख योजनान्तर्गत क्षेत्रवार एवं कुल प्रदर्शन सराहनीय है। बैंकों से अनुरोध है कि प्रगति की गति वित्तीय वर्ष के अंत तक बनाए रखें।
- राजस्थान में कृषि क्षेत्र हेतु निर्धारित वार्षिक साख योजना के लक्ष्य (रु 1.53 करोड़), वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा सुझाए गए लक्ष्य (रु 1.86 करोड़) से कम है।
- किसानों की आय बढ़ाने हेतु कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण न्यूनतम 40% के स्तर तक ले जाना आवश्यक है जो अभी लगभग 28% पर है। इस दिशा में सभी बैंक प्रयास करें।
- राज्य में निवेश ऋण कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण, बैंकों के field level officers को संबन्धित निवेश ऋण योजनाओं का सही ज्ञान ना होना पाया गया है। बैंकों से अनुरोध है की शाखाओं में कार्यरत स्टाफ एवं बैंक मित्रों को इस संबंध में जागरूक करें। साथ ही JLG को वित्त पोषित करने पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि नाबार्ड द्वारा FIF के तहत जो परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, उनमे जल्द से जल्द ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। साथ ही FIF के तहत उपलब्ध सहायता राशि का अधिक से अधिक उपयोग करें।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि घर घर केसीसी अभियान के तहत अपेक्षित प्रदर्शन करें।
- देश में 30 मंडियों का डिजिटलीकरण किया जाना है जिनमे से 8 मंडियाँ राजस्थान में हैं (झुंझुनू, जोधपुर, भरतपुर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़)। सभी बैंकों से संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों का सायोग लेकर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

- नाबार्ड द्वारा 5 गैर-कृषि गतिविधियों को geotag किया गया है- Jodhpur Bandhej Work, Koftagiri Metal Craft of Udaipur, Nathdwara Pichhwai Craft of Rajsamand, Bikaner Usta Kala, Hand Embroidery Art of Bikaner। बैंकों से अनुरोध है कि उक्त गतिविधियों के लिए संबन्धित ईकाइयों एवं कारीगरों को वित्तपोषण प्रदान करें।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सक्रियता से भाग लें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- किसानों की आय बढ़ाने के अन्य तरीके निम्नानुसार हैं-
  - किसान उत्पादक संगठन (FPOs)- नाबार्ड राज्य में 93 FPOs को प्रायोजित करता है किन्तु इनमे से मात्र 40 FPOs ही credit linked हैं। बैंकों से अनुरोध है कि नाबार्ड द्वारा प्रायोजित सभी FPOs का वित्तपोषन करने का प्रयत्न करें।
  - राज्य में कृषि क्षेत्र के अग्रिम में उपलब्ध संभाव्यताओं और अवसरों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
  - JLG Financing- राज्य में 2 लाख से अधिक JLGs का NBFCs द्वारा ऊंची ब्याज दरों पर वित्तपोषण किया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक JLGs का वित्तपोषन करें जो इन JLGs के लिए भी सस्ता होगा।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

- डुंगरपुर एवं सिरोही जिलों का सीडी अनुपात 40% से कम है। संबन्धित अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं इन जिलों में कार्यरत सभी बैंकों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द सीडी अनुपात कम से कम 60% के स्तर पर लाने का प्रयास करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, डूंगरपुर व सिरोही, समस्त सदस्य बैंक)

- अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि डीएलआरसी बैठकों में स्थानीय जन प्रतिनिधि को भी आमंत्रित करें।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा PACS के computerization में सराहनीय प्रगति की जा रही है। आगामी वर्ष के अंत तक यह कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

Confirmation of Minutes of 158th SLBC Meeting (17.08.2023)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सर्वप्रथम बताया कि दिनांक 17.08.2023 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 31.08.2023 को समस्त हितधारकों को प्रेषित किए गए हैं एवं इसकी पुष्टि करने के लिए सदन से अनुरोध किया, तत्पश्चात सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने उक्त कार्यवृत की पुष्टि की।

Banking at a glance in Rajasthan

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सभी मापदण्डों में प्रगति संतोषजनक है-

Parameters	Sept, 20	Sept, 21	Sept, 22	Mar, 23	Sept, 23*
No. of Branches (new Br in Yr.)	8,189 (52)	8,194 (31)	8,347 (42)	8,580 (335)	8,726 (120)
***Around 67.56% branches in Rural & Semi Urban.**					
					Amt. in Rs. Crore
Deposits (% Y-o-Y Growth)	4,68,622 (7.97%)	5,11,415 (9.13%)	5,73,164 (12.07%)	6,17,975 (12.95%)	6,50,721 (13.53%)
Advances (% Y-o-Y Growth)	3,74,504 (3.97%	4,19,042 (11.90%)	4,88,501 (16.58%)	5,47,021 (17.26%)	6,06,324 (24.12%)

CD Ratio	81.87%	83.51%	85.23%	88.52%	93.18%
PS Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	2,41,799 (10.04%) (64.57%)	2,70,851 (12.01%) (64.64%)	3,02,148 (11.56%) (61.85%)	3,32,679 (10.60%) (60.82%)	3,64,109 (20.50%) (60.05%)
Agri. Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total Advances)**	1,13,502 (10.13%) (30.31%)	1,24,760 (9.92%) (29.77%)	1,40,900 (12.94%) (28.84%)	1,50,456 (9.74%) (27.50%)	1,57,819 (12.01%) (26.03%)
MSME Advances **(% Y-o-Y Growth)** **(% of total advances)**	89,329 (12.70%) (23.85%)	1,05,646 (18.27%) (25.21%)	1,23,706 (17.09%) (25.32%)	1,40,864 (16.47%) (25.75%)	1,59,772 (29.15%) (26.35%)

Achievement against stipulated benchmark on September - 2023

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राज्य में सीडी अनुपात में **7.95%** की वृद्धि हुई है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र outstanding में **रु. 61,961 करोड़** की बढ़ौतरी हुयी है।
- कृषि क्षेत्र outstanding में **रु. 16,919 करोड़** की बढ़ौतरी हुयी है।
- माइक्रो खातों में **1.40%** की की बढ़ौतरी हुयी है।
- एमएसएमई के तहत माइक्रो खातों की बकाया राशि में **रु. 21,133 करोड़** की बढ़ौतरी हुई है। (नेट बढ़ौतरी)
- बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम, कृषि, कमजोर वर्ग अग्रिम और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से प्रतिशत के संदर्भ में गिरावट देखी जा रही है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Districts wise CD ratio in Rajasthan

No. of District	CD Ratio Range	Name of Districts
12	>100%	Baran, Barmer, Bhilwara, Bundi, Chittorgarh, Hanumangarh, Jaisalmer, Jhalawar, Nagaur, Pratapgarh, Sri Ganganagar and Tonk
15	71-100%	Alwar, Banswara, Bharatpur, Bikaner, Churu, Dausa, Jaipur, Jalore, Jhunjhunu, Jodhpur, Kota, Pali, Sawai Madhopur, Sikar and Udaipur
5	51-70%	Ajmer, Dholpur, Dungarpur, Karauli and Rajsamand
1	<50%	Sirohi

Districts having CD ratio lower than all India level (as on September, 23)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य के 13 जिलों यथा दौसा(77.88%), कोटा (76.00%), पाली (75.81%), भरतपुर (75.26%), बांसवाड़ा (74.15%), झुंझुनू (72.35%), उदयपुर (72.03%), अजमेर (68.88%), राजसमंद (67.81%), करौली (67.5%), धौलपुर (65.10%), डूंगरपुर (55.96%) एवं सिरोही (48.94%) का सीडी अनुपात, राष्ट्रीय औसत (78.25%) से कम है। सीडी अनुपात सुधारने हेतु इन जिलों में कार्यरत बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबंधकों को मिशन मोड में कार्य करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, दौसा, कोटा, पाली, भरतपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, करौली, धौलपुर, डूंगरपुर एवं सिरोही)

इनमे से सिरोही एवं डुंगरपुर जिलों का सीडी अनुपात 60% के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क से भी कम है जो चिंतनीय है। उक्त जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों, सभी बैंकों एवं राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपयुक्त कार्ययोजना बनाते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक सीडी अनुपात 60% के स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, सिरोही व डुंगरपुर, समस्त सदस्य बैंक, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

District wise per capita Deposit and Advances (as on 30th September, 23)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि-

- धौलपुर, जालोर, करौली, नागौर, प्रतापगढ़ का जमा प्रति व्यक्ति क्रमशः 0.32 लाख, 0.36 लाख, 0.37 लाख, 0.39 लाख, 0.30 लाख है एवं अग्रिम प्रति व्यक्ति 0.21 लाख, 0.31 लाख, 0.25 लाख, 0.41 लाख, 0.36 लाख है अतः दोनों ही मापदंडों में उक्त जिलों का प्रदर्शन असंतोषजनक है। उक्त जिलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों, सभी बैंकों एवं राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपयुक्त कार्ययोजना बनाते हुए जमा प्रति व्यक्ति एवं अग्रिम प्रति व्यक्ति बढ़ाने का प्रयास करें।

  (कार्यवाही: अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, धौलपुर, जालोर, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, समस्त सदस्य बैंक, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

- राज्य का औसत जमा प्रति व्यक्ति रु 0.95 लाख एवं अग्रिम प्रति व्यक्ति रु 0.88 लाख है जिसमे सुधार की संभावना है।

Annual Credit Plan 2023-24

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि वार्षिक साख योजना 2023-24 हेतु निर्धारित लक्ष्य **रु. 2,79,855 करोड़** के सापेक्ष सितंबर, 2023 तिमाही तक क्षेत्र-वार उपलब्धि निम्नानुसार है-

- कृषि- 52.68%
- MSME- 94.14%
- अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 25.20%
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 65.02%

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी- MSME के तहत इतनी अधिक उपलब्धि का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि इसमे से कितनी उपलब्धि नए ऋण वितरण के कारण है और कितनी उपलब्धि पुराने ऋण के नवीनीकरण एवं उधयोगों द्वारा उद्यम आधार पंजीकरण के कारण है।

(कार्यवाही: एसएलबीसी)

Banks having performance below 40% under Annual Credit Plan (ACP) during F.Y. 23-24 (upto September 2023)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितंबर 2023 तक **40% से कम** उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब और सिंध बैंक (36.94%), राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (36.50%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (20.57%), बंधन बैंक (39.30%) एवं भारतीय स्टेट बैंक (38.28%) से वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक, बंधन बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक)

प्रतिनिधि, **आरएमजीबी** ने सूचित किया कि चालू तिमाही में **50%** लक्ष्य उपलब्ध कर लिए हैं एवं वित्तीय वर्ष के अंत तक शत प्रतिशत लक्ष्य अर्जित कर लेंगे।

(कार्यवाही: आरएमजीबी)

प्रतिनिधि, **भारतीय स्टेट बैंक** ने सूचित किया कि इस तिमाही के अंत तक ऋण वितरण के 60% लक्ष्य एवं वित्तीय वर्ष के अंत तक शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करेंगे।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

Agency wise snapshot of Investment Credit under Agriculture (as on 30.09.2023)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि दिनांक 30.09.2023 तक वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों की कुल कृषि अग्रिम के सापेक्ष निवेश ऋण क्रमशः **32.69%, 7.55%, 8.18% एवं 99.97%** हैं।

दिनांक 30.09.2023 तक राजस्थान राज्य के कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की प्रतिशत **(28.22%)** से कम प्रतिशत वाले बैंक निम्नानुसार हैं- आरएमजीबी (2.40%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (5.20%), यूको बैंक (7.11%), राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (4.71%), भारतीय स्टेट बैंक (10.05%), केनरा बैंक (9.55%), बीआरकेजीबी (9.91%), आईडीबीआई (10.20%), पंजाब और सिंध बैंक (12.94%), इंडियन बैंक (12.36%), बैंक ऑफ बड़ौदा (21.66%), पंजाब नेशनल बैंक (14.04%)।

उक्त बैंकों से अनुरोध है कि कुल निवेश ऋण कुल कृषि ऋण के 40% तक बढ़ाने हेतु प्रयास करें।

(कार्यवाही: आरएमजीबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बीआरकेजीबी, आईडीबीआई, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक)

प्रतिनिधि, आरएमजीबी ने सूचित किया कि उनके बैंक द्वारा अभी तक विशेषकर केसीसी पर ध्यान केन्द्रित करने एवं CGTMSE के अंतर्गत ऋण वितरण की अधिकतम सीमा रु 50 लाख होने के कारण निवेश ऋण का स्तर कम है तथा निवेश ऋण बढ़ाने हेतु उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।

Formation of new districts in the State of Rajasthan – Assignment of Lead Bank Responsibility

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि आरबीआई ने नए जिलों के लीड बैंकों को निम्नानुसार नामित करने का निर्णय लिया है-

Sr. No.	Lead Bank	Districts Assigned
1	State Bank of India	Balotra, Jaipur Rural, Neem Ka Thana, Sanchore
2	Bank of Baroda	Beawar, Kekri, Gangapur City, Shahpura
3	Punjab National Bank	Anupgarh, Deeg, Jaipur, Jodhpur, Khairthal-Tijara, Kotputli-Behror
4	UCO Bank	Didwana-Kuchaman, Dudu, Phalodi
5	ICICI Bank	Jodhpur Rural, Salumber

उक्त बैंकों से अनुरोध है कि आवंटित लीड जिलों में जल्द-से-जल्द, 30 नवंबर, 2023 से पहले सक्षम अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को पदस्थापित करना सुनिश्चित करें। साथ ही नए बने जिलों में R-SETI और FLC की स्थापना अग्रणी बैंक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द करें।

(कार्यवाही: समस्त डीसीसी संयोजक बैंक)

इसके अतिरिक्त सभी बैंकों से अनुरोध है कि नए जिलों हेतु ज़िला समन्वयक एवं 1 अतिरिक्त स्टाफ को जल्द से जल्द चयनित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि नए जिलों समेत सभी जिलों में अपने ज़िला समन्वयकों तथा उनकी अनुपस्थिति में अन्य स्टाफ को पूरी तैयारी के साथ ज़िले की सभी डीसीसी/ डीएलआरसी/ बीएलबीसी बैठकों में सहभागिता करने हेतु निर्देशित करें। उक्त का एवं नए जिलों में अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों, ज़िला समन्वयकों एवं प्रति जिला 1 अतिरिक्त स्टाफ की पदस्थापना तथा नए बने जिलों में R-SETI और FLC की स्थापना आदि का विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को 31 दिसंबर 2023 तक साझा करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Setting up of Brick-and-Mortar Branches Status as on 15.11.2023

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान में ब्रिक और मोर्टार शाखाएं खोलने के लिए चिन्हित **95** स्थानों में से **30** केन्द्रों पर पहले से शाखा खुली हुई हैं एवं शाखाओं को जन धन दर्शक ऐप्प पर अद्यतित कर दिया गया है। दिनांक 15.11.2023 तक **59** केन्द्रों पर शाखा खोली जा चुकी हैं एवं **06** केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना लंबित है जिसकी स्थिति निम्नानुसार है-

Bank wise status of allocation of identified locations for Brick & Mortar Branches						
Sr. No.	**Name of Bank**	**No. of Villages Allotted**	**Already Covered by any Bank Branch (Updated on JDD App)**	**Consent for Opening of Branch**	**No of Branches Opened**	**No. of Branches pending for Opening**
1	Bandhan Bank	2	0	2	1	1
2	Central Bank Of India	2	0	2	0	2
3	Punjab National Bank	10	2	8	7	1
4	RSCB	1	0	1	0	1
5	State Bank Of India	13	5	8	7	1
	Grand Total	**28**	**7**	**21**	**15**	**6**

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि- बंधन बैंक की शेष एक शाखा का MICR कोड एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की शाखा का IFSC कोड आना लंबित है जिनके आते ही शाखाएं संचालित कर दी जावेगी।

(कार्यवाही: बंधन बैंक एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक की शेष शाखा हेतु परिसर उपलब्ध करवाने के संबंध में जल्द-से-जल्द संबन्धित ज़िला कलक्टर से बात करने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि वह डीएलआरसी बैठक में ज़िला मजिसट्रेट से यह पुष्टि लेवें कि आवंटित केंद्र के 5 किमी के दायरे में कोई ग्राम नहीं है एवं 5 किमी के दायरे के बाहर अन्य ग्राम पर शाखा खोला जाना स्वीकृत है। फिर इस प्रस्ताव को एसएलबीसी में स्वीकृत करवाकर वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जावेगा।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

प्रतिनिधि, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया कि **21 दिसम्बर, 2023** जोकि बैंक का स्थापना दिवस है को दोनों केन्द्रों पर शाखाएँ खोल दी जाएंगी।

(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

राज्य परियोजना निदेशक, राजीविका ने सूचित किया कि झालावाड़ ज़िले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्वयं सहायता समूह आंदोलन मे अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके कारण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अग्रेषित आवेदनों को निस्तारण हेतु अब दूसरे बैंकों को अग्रेषित किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को संवेदित करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

<u>New locations for setting up of Brick-and-Mortar branches</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 17.03.2023 के माध्यम से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को राज्य में बैंकिंग सेवा से रहित **3,327** ग्रामों की सूची प्रदान की है, जिनमे से **13** ग्राम, जिनकी जनसंख्या 3,000 से अधिक है, उन्हे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सदस्य बैंकों को आवंटित किया गया है, जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है-

Bank wise status of allocation of identified locations for Brick & Mortar Branches						
Sr. No.	**Name of Bank**	**No. of Villages Allotted**	**Already Covered By any Bank Branch (Updated on JDD App)**	**Consent for Opening of Branch**	**No of Branches Opened**	**No. of Branches pending for Opening**

1	AU Small Finance Bank	2	0	2	2	0
2	Bank Of India	3	0	3	3	0
3	Bank of Maharashtra	2	0	2	1	1
4	IDFC First Bank	3	0	1	0	3
5	Union Bank of India	3	1	1	0	2
	Grand Total	**13**	**1**	**9**	**6**	**6**

उक्त सभी बैंकों से अनुरोध है कि आवंटित केन्द्रों पर **दिनांक 31.12.2023** तक ब्रिक और मोर्टर शाखा खोलना सुनिश्चित करें। साथ ही आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध है कि उनको आवंटित शेष 2-2 केन्द्रों पर ब्रिक और मोर्टार शाखा खोलने हेतु जल्द-से-जल्द सहमति प्रदान करें।

(कार्यवाही: एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, **बैंक ऑफ इंडिया**, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**, **आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)**

प्रतिनिधि, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** ने सूचित किया कि बैंक के उप-अंचल प्रमुख और परिसर विभाग के अधिकारी के केंद्र टापू के दौरे पर**,** गांव के सरपंच द्वारा यह सूचित किया गया कि बैंक शाखा खोलने के लिए ग्राम पंचायत परिसर में कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा**,** प्रथम दृष्टया**,** इस उद्देश्य के लिए गांव के भीतर कोई वैकल्पिक उपयुक्त परिसर नहीं मिला है।

प्रतिनिधि, **आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक** ने सूचित किया कि शेष 3 में से 1 केंद्र पर 31 दिसम्बर तक शाखा खोल दी जावेगी। अन्य 2 केन्द्रों पर शाखा खोलने हेतु उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा है जिसके लिए बैंक द्वारा अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से सहयोग हेतु अनुरोध किया है**,** किन्तु अभी तक उनसे कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक से अनुरोध किया कि क्रमशः सरपंच एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक तक सीमित नहीं रहें एवं बैंक के उच्चाधिकारी स्वयं ही ज़िला प्रशासन के उच्चाधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क करें। साथ ही परिसर प्रदान करवाने हेतु सिर्फ प्रशासन पर ही निर्भर ना रहें अपितु अपने स्तर पर भी शाखा खोलने के लिए उपयुक्त परिसर ढूँढने हेतु सक्रिय एवं पूर्ण प्रयास करें। **साथ ही 31 दिसंबर 2023 तक अद्यतित स्थिति एसएलबीसी के साथ साजा करें।**

(कार्यवाही: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, **आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक)**

प्रतिनिधि, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** ने सूचित किया कि 17 **KYD** पर शाखा खुल गयी है तथा 20 **KD** 17 **KYD** के 5 किमी के दायरे मे होने के कारण अब कवर्ड है। शेष केंद्र उत्तरलाई सिटी में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा कार्यरत है। उन्होने उक्त सूचनाएँ पोर्टल पर अद्यतित करवाने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

<u>Uncovered villages within 5KM radius</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि जन धन दर्शक ऐप्प के अनुसार राज्य में **180** ग्रामों में 5 किमी के दायरे में बैंकिंग आउटलेट नहीं है, जो बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा विभिन्न बैंकों को आवंटित कर दिये गए हैं। इनमे से **175** ग्रामों को विभिन्न बैंकों द्वारा बैंकिंग आउटलेट से कवर कर दिया गया है एवं **5** केंद्र (1 -बीआरकेजीबी, 2- पंजाब नेशनल बैंक, 2- भारतीय स्टेट बैंक) बैंकिंग आउटलेट से कवर किए जाने हेतु शेष हैं। उक्त बैंकों को शेष केन्द्रों पर जल्द-से-जल्द बैंकिंग आउटलेट खोलने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बीआरकेजीबी)

<u>Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जन सुरक्षा योजनाओं के संतृप्ति अभियान के तहत दिनांक 08.11.2023 तक की प्रगति इस प्रकार है:

Special Drive for Jan Suraksha Scheme						
as on Date	PMJJBY		PMSBY		APY	
	Target	Enrolled	Target	Enrolled	Target	Enrolled
02.08.2023	69,15,500	30,36,629 (44%)	96,73,911	65,92,190 (68%)	56,33,175	9, 70,035 (17%)
08.11.2023	69,15,500	32,45,700 (47%)	96,73,911	71,31,68 (74%)	56,33,175	10,30,645 (18%)
Progress		**2,09,071**		**5,39,495**		**60,610**

सभी बैंकों से अनुरोध है कि वह वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.04.2022 के माध्यम से सूचित किए गए, संतृप्ति अभियान के संशोधित लक्ष्यों के अनुरूप, जन सुरक्षा योजनाओं यथा PMJJBY, PMSBY एवं APY के तहत **सितंबर 2024** तक **100%** लक्ष्य उपलब्धि करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी- सुरक्षा बीमा योजनाओं के तहत वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के आदेशानुसार 30 सितंबर, 2023 तक 70% लक्ष्य प्राप्त किए जाने थे, जिसके सापेक्ष PMJJBY एवं APY में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं बैंकों से गाँव-गाँव शिविरों का आयोजन करके सितंबर 2024 तक 100% लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की टिप्पणी- सुरक्षा बीमा योजनाओं के लक्ष्य उपलब्ध करने हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम भी से पूर्ण प्रयास करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Atal Pension Yojna FY 2023-24:

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य में कुल **6,75,280** नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 28.10.2023 तक 3,59,386 **(53%)** नामांकन किए गए हैं जो संतोषजनक हैं।

किन्तु उक्त योजनान्तर्गत निजी बैंकों का प्रदर्शन असराहनीय है एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंकों को प्रदर्शन में और सुधार करने की आवश्यकता है। सभी स्माल फ़ाइनेंस बैंकों एवं निजी बैंकों से, विशेषकर **एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एवं आईडीबीआई बैंक** से अनुरोध है कि अटल पेंशन योजना में सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यबाही: समस्त निजी बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

अटल पेंशन योजनान्तर्गत **एजेंसी-वार** उपलब्धि निम्नानुसार है-

- वाणिज्यिक बैंक-63%
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-55%
- स्माल फ़ाइनेंस बैंक-38%
- एचडीएफ़सी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई एवं एक्सिस बैंक-2%
- अन्य निजी बैंक- 35%
- सहकारी बैंक-9%

Deepening of Digital Payments Ecosystem:

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, सदन के अनुमोदन से राज्य के सभी जिलों में **बचत** एवं **चालू खातों** का 100% डिजिटलीकरण **मार्च 2024** तक किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य में औसतन **92.19%** बचत खातों में डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

- सवाई माधोपुर, नागौर, दौसा एवं जोधपुर जिलों में बचत खातों का डिजिटलीकारण प्रतिशत 91% से कम है।
- राज्य में औसतन **76.90%** चालू खातों में डिजिटलीकरण किया गया है जो असंतोषजनक है।
- जैसलमेर, बीकानेर, दौसा, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिलों में चालू खातों का डिजिटलीकारण प्रतिशत 71% से कम है।
- सभी बैंकों एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि मार्च 2024 तक बचत एवं चालू खातों का 100% डिजिटलीकरण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से शाखा-वार गैर-डिजिटाइज्ड जमा और चालू खातों का विश्लेषण करते हुए मार्च 2024 तक 100% डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया। समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु HO/RO द्वारा शाखा विशिष्ट लक्ष्य दिये जा सकते हैं एवं इसकी स्थिति (बैंकवार) पाक्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित की जा सकती है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Support Required from Banks

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सभी सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से निम्नलिखित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया-

- **50** जिलों के लिए सभी बैंकों द्वारा जिला समन्वयक (डीसीओ) की पहचान**,** प्रमुखतः प्रशासनिक कार्यालयों से**/** विशेष जिलों में महत्वपूर्ण शाखाओं से और प्रत्येक डीएलआरसी / डीसीसी बैठक में संबंधित डीसीओ की सक्रिय भागीदारी।
- प्रत्येक डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में लीड बैंक/आरआरबी के क्षेत्रीय प्रमुख की भागीदारी।
- उन जिलों में सीडी अनुपात में सुधार जहां सीडी अनुपात **60%** से कम है।
- कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण (सावधि ऋण) में **40%** के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि।
- कृषि एवं एमएसएमई के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (**ODOP**) को बढ़ावा देना।
- केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं पर विशेष फोकस।
- नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल लेनदेन के उपयोग को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता और APMC/मंडियों के डिजिटलीकरण को फैलाने पर ध्यान केंद्रित करें। राजस्थान में अखिल भारतीय आधार पर कुल **30** मंडियों में से **8** मंडियों की पहचान की गई है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

Support required from State Governement

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग को आर-सेटी भवन निर्माण से संबन्धित विभिन्न मुद्दों का निस्तारण करने एवं की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

अध्यक्ष, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** की टिप्पणी- राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु एसएलबीसी के साथ समन्वय करना चाहिए।

प्रतिनिधि, **पंजाब नेशनल बैंक** ने सूचित किया कि अलवर उप-खंड अधिकारी द्वारा ज़िला अधिकारी को भूमि-आवंटन हेतु प्रस्ताव भेजा जाना लंबित है तथा भरतपुर में राज्य सरकार द्वारा चारागाह ज़मीन हेतु मुआवजा दिया जाना लंबित है।

राज्य परियोजना निदेशक, **राजीविका**, **राजस्थान सरकार** की टिप्पणी-

- आर-सेटी को भूमि आवंटन का मुद्दा हितधारकों के बीच समन्वय और समझ की कमी एवं इष्टतम समाधान को स्वीकार करने की अनिच्छा के कारण कुछ वर्षों से बना हुआ है। बैंकों को आर-सेटी परिसर का शहर/कस्बे की सीमा से बाहर होने को स्वीकार करना होगा क्योंकि शहर की सीमा के भीतर आर-सेटी स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्थान ढूंढना संभव नहीं है।
- पंजाब नेशनल बैंक से अनुरोध है कि अपने स्तर से उप-खंड अधिकारी द्वारा ज़िला अधिकारी को भूमि-आवंटन हेतु प्रस्ताव भिजवाने हेतु अनुरोध करें एवं चारागाह भूमि के मामले में ज़िला कलक्टर से भेंट कर समाधान निकालें।

- धौलपुर एवं पाली में प्रस्तावित भूमि शहरी है जिसमे किसी भी प्रकार की छूट प्रदान करना शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में है। किन्तु शहरी स्थानीय निकाय कथित शुल्क माफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने हेतु उन्हे कोई निर्देश प्राप्त नहीं है।

Amendment in PDR Act, 1952

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से**,** PDR Act, 1952 में संशोधन कर विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं में बैंकों की बकाया राशि की वसूली को शामिल करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

उप सचिव, **राजस्व विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि उक्त संशोधन प्रक्रियाधीन है।

RACO RODA & SARFAESI Act

- प्रकरण बकाया दिनांक 30.09.2023 तक
  - ✓ RACO RODA - 1,46,987 Cases Amt. Rs. 3,689 Cr
  - ✓ SARFAESI Act - 1,215 Cases Amt. Rs. 315 Cr.

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से उक्त मुद्दे पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, **राजस्थान सरकार)**

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान बैंकों के पक्ष में मौजूदा रहन हटने के संबंध में

सहायक महाप्रबन्धक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि कृषि ऋण रहन पोर्टल को सभी जिलो में लागू करना एवं भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान बैंकों के पक्ष में मौजूदा रहन हटने के संबंध में संबन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही लंबित है।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि इस वर्ष की 100% गिरदावरी ऑनलाइन करवा दी गयी हैं एवं मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ई-मित्र पर नकल उपलब्ध करवा दी गयी है। पुरानी गिरदावरी की नकल को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार से बजट का अनुरोध किया है जिसके स्वीकृत होने पर यह कार्य करवा दिया जावेगा।

Waiver in Glow Sign Board Charges (Pending since June 2017)

संयुक्त शासन सचिव, **आयोजना विभाग**, **राजस्थान सरकार** ने सूचित किया कि राजस्थान सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क में छूट देने से पुनः मना कर दिया गया है।

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**,** 2009 की धारा 107 के अंतर्गत केंद्र सरकार/ राज्य सरकार की भूमि**,** भवन जिनका प्रयोग मात्र लोक प्रयोजन के लिए किया जाता है वहीं छूट प्राप्त है।

साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी भारत के राजपत्र के भाग **II-**खण्ड 3-उप-खण्ड(**ii)** की अधिसूचना संख्या 2322 दिनांक 05.06.2023 में पुनः बैंकिंग उद्योग को लोक उपयोगी सेवा के रूप आगामी छ: माह के लिए बढ़ा दिया है। अतः बैंक शाखा परिसर में ग्लो साइन बोर्ड (बैंक शाखा की जानकारी) प्रदर्शित करने पर लगाने वाले शुल्क में छूट प्रदान की जानी चाहिये।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, **राजस्थान सरकार)**

<u>प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना – रबी 2023-24</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 21-07-2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 202**3** व रबी 2023-24 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है।
- आयुक्त कृषि**,** कृषि आयुक्तालय**,** राजस्थान सरकार**,** जयपुर ने पत्रांक एफ.6 (**III**)आ.कृ./फ.बी./ PMFBY /NCIP **/**रबी /2023-24/5265-5374 दिनांक 03.11.2023 के माध्यम से रबी 2023-24 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजिटाईजेशन का कार्य सम्पादित करने हेतु सूचित किया है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2023-24 में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2023**,** पॉलिसी सृजन एवं बीमा कंपनी को कृषक प्रीमियम प्रेषित करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.01.2024 है।
- पीएमएफ़बीवाई (PMFBY) रबी 2023-24 के अंतर्गत दिनाँक 18-11-2023 तक केंद्रीय पोर्टल (NCIP) पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Loanee Application Count	-	54,466 (No.)
Non-Loanee Application Count	-	31 (No.)
Total Sum Insured	-	Rs. 134.16 Cr
Total Area Insured	-	21,009 Hect.
Total Farmer's Share	-	Rs. 2.39 Cr
Gross Premium	-	Rs. 11.22 Cr

उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि रबी 2023-24 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबन्धित निर्धारित समय सीमाओं का यथानुसार पालन करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

<u>KCC Saturation Drive: "Ghar Ghar KCC Abhiyaan" KCC Saturation drive from 01.10.2023 to 31.12.2023</u>

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी पात्र किसानों को चल रही योजनाओं, विशेषकर किसान क्रेडिट ऋण के माध्यम से रियायती ब्याज दर, interest subvention एवं prompt repayment incentive का लाभ प्रदान करने के लिए 01.10.23 से 31.12.23 तक "घर घर केसीसी अभियान" शुरू किया है।
- इस अभियान का उद्देश्य सभी प्रकार की केसीसी योजनाओं (फसल की खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदि के लिए) के तहत पीएम किसान लाभार्थियों को संतृप्त करने के लिए ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) के तहत एक विशेष अभियान के माध्यम से किसानों को mobilize करना है।
- एलडीएम केसीसी संतृप्ति अभियान के बारे में बैंकों को जागरूक करने और केसीसी का लाभ उठाने के लिए किसानों को संवेदित करने के लिए जिला समन्वयकों/डीडीएम/सरकारी अधिकारियों/पंचायती राज संस्थानों की बैठकें बुलाएंगे और वित्तीय साक्षरता केंद्रों (FLC)/ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (R-SETI) की मदद से विशेष शिविरों की योजना और आयोजन भी करेंगे।
- DA&DWF ने सभी हितधारकों और बिना केसीसी वाले पीएम किसान लाभार्थियों के लिए PMFBY पोर्टल पर एक विशेष टैब (केसीसी अभियान) बनाया है, जिसे सभी शाखाओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है ताकि उन्हें पूरी तरह से केसीसी से संतृप्त किया जा सके या यदि वे केसीसी की सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो सहमति ले सकें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने इसके पश्चात 'घर घर केसीसी अभियान' के तहत दिनांक 16.11.2023 तक की बैंक वार तथा ज़िला वार प्रगति से सदन को अवगत कराया एवं सूचित किया कि-

- राज्य में घर घर केसीसी अभियान के **तहत 29.10%** संतृप्ति उपलब्ध की गयी है।
- झुंझुनू, जालोर एवं चित्तौड़गढ़ में 'कुल लाभार्थियों' के आंकड़े 1000 से भी कम हैं जिसकी पुनः जांच करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: नाबार्ड)

PM Vishwakarma

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों (लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि जैसे व्यवसायों में लगे हुए) के विकास को बढ़ावा देना/सहायता करना है, जिन्हें 'विश्वकर्मा' कहा जाता है और जो अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं। प्रारंभ में इस योजना में 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।
- ऋण सहायता की कुल मात्रा रु. 3,00,000/- जिसमें, लाभार्थी 18 महीने के लिए 100000/- रुपये तक की पहली किश्त और 30 महीने के लिए 2,00,000/- रुपये तक की दूसरी किश्त प्राप्त कर सकते हैं।
- सभी बैंक शाखाएं लाभार्थी के खाते के विवरण के सत्यापन के लिए उदयमित्र पोर्टल के अपने मौजूदा उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का उपयोग करके ऋण देने वाले संस्थान अनुभाग के तहत पीएम विश्वकर्मा पोर्टल (https://pmvishvakarma.gov.in) पर लॉग इन कर सकती हैं।
- राज्य में उक्त योजना के तहत कुल 25,565 जमा खातों मे से 10,562 खाते स्वीकृत, 1,635 खाते निरस्त कर दिये गए हैं तथा 1,815 खाते 7 दिनों से कम समय से लंबित हैं व 11,553 खाते 7 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, अतः कुल **13,368** जमा खाते पुष्टीकरण के लिए विभिन्न बैंकों के पास लंबित हैं।
- सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि वे SOP के अनुसार पीएम विश्वकर्मा लाभार्थी के बैंक खाता संख्या और आईएफएससी को सत्यापित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Property cards issued under Svamitva Scheme

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि-

- SVAMITVA योजना बसे हुए ग्रामीण इलाकों में घर रखने वाले गांव के घरेलू मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करेगी, बदले में, उन्हें बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी। जिसके तहत ग्रामीणों को वित्तीय साधन के रूप में प्रोपर्टी कार्ड जारी किया जावेगा जो संपार्श्विक के रूप में काम करेगा।
- राजस्थान राज्य में आवासीय उद्देश्य के लिए आबादी भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि स्वामित्व योजना में निर्दिष्ट प्रॉपर्टी कार्ड।
- पट्टे पर "डिफॉल्ट के मामले में संपत्ति की बिक्री नहीं करने" की शर्त है जो बैंकों को SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत सुरक्षा लागू करने के लिए प्रतिबंधित करती है।
- संबन्धित विभाग से स्वामित्व योजना की राज्य में कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है किन्तु यह सूचना विभाग द्वारा अभी तक प्रदान नहीं की गयी है।

राज्य परियोजना निदेशक, राजीविका की टिप्पणी- राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष जाति को निःशुल्क पट्टे दिये जाते हैं इसलिए यह अहस्तांतरणीय होते हैं। अहस्तांतरणीय पट्टे को हस्तांतरणीय बनाने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा जो कि राज्य सरकार के स्तर से संभव है एवं संबन्धित विभाग के द्वारा नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के संबन्धित मंत्रालय को सूचित किया गया है कि राजस्थान में वर्तमान में पंचायती राज अधिनियम के तहत जिस प्रारूप में पट्टे जारी किए जा रहे हैं, वे ही उपयुक्त हैं, उसके अतिरिक्त वर्तमान में अलग से स्वामित्व प्रोपर्टी कार्ड जारी नहीं किये जा रहे है।

निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की टिप्पणी- यदि पट्टे हस्तांतरणीय नहीं होंगे तो बैंक संपत्ति पर बंधक नहीं बना सकेंगे। संबन्धित विभाग से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है। 'स्वामित्व' योजना' भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत ग्रामीण आबादी को उनकी संपत्ति के लिए Property

Card जारी किया जा रहा है जिसके आधार पर उन्हे बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। अतः इस योजना के राज्य में सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार से आवश्यक सहयोग अपेक्षित है। साथ ही सभी बैंकों से इस योजना को सफल बनाने हेतु सक्रियता से कार्य करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड कि टिप्पणी- केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व योजना लागू करने का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करके ग्रामीण भारत में संपत्ति सत्यापन करना जिससे ग्रामीणों को इसके आधार पर ऋण प्रदान किया जा सके।

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में दिनांक 15.11.2023 तक **2,77,700** के संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष **1,71,432** आवेदन स्वीकृत किए हैं जिनमें से **1,58,416** आवेदनों में **रु. 189.81 करोड़** वितरित किए गए हैं। **13,016** स्वीकृत किए गए आवेदनों में ऋण वितरण लंबित है। सभी बैंकों से 31.12.2023 तक उक्त योजनान्तर्गत शत प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

PM SVANidhi के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks as on 15.11.2023						Low Performing Banks as on 15.11.2023					
Sr. No.	Bank Name	Target alloted upto 31.12.2023	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Cr)	%age ach.	Sr. No.	Bank Name	Target alloted upto 31.12.2023	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in Cr)	%age ach.
1	State Bank of India	48321	76342	94.54	157.99	1	IndusInd Bank	5926	0	0.00	0.00
2	Bank of Baroda	25461	31830	36.14	125.01	2	Yes Bank Ltd.	5088	0	0.00	0.00
3	Bank of Maharashtra	1794	2014	2.29	112.24	3	Bandhan Bank Ltd.	11434	1	0.00	0.01
4	Bank of India	6166	6531	7.68	105.91	4	Axis Bank	9278	6	0.01	0.06
5	Indian Bank	6525	5040	5.93	77.24	5	Kotak Mahindra Bank	3412	7	0.01	0.21
6	Indian Overseas Bank	3293	2507	2.93	76.14	6	AU Small Finance bank	10296	147	0.15	1.43
7	Central Bank of India	7723	4758	5.53	61.61	7	ICICI Bank	18498	298	0.31	1.61
8	Union Bank of India	13170	6075	7.21	46.13	8	HDFC Bank	11255	323	0.33	2.87

कम प्रगति वाले बैंकों से योजनान्तर्गत तिमाही के अंत तक प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफ़सी बैंक)

National Rural Livelihood Mission (NRLM)

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लक्ष्य **1,36,705** के सापेक्ष दिनांक 15.11.2023 तक **63,164 खातों (46.20%)** में **रु 1050.14 करोड़ (41.18%)** का ऋण वितरण किया गया है। सभी बैंकों से यह सुनिश्चित करने का नौरोध है की पहली डोज़ में न्यूनतम रु 1.5 लाख एवं दूसरी दीज़ में न्यूनतम रु 3.0 लाख वितरित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

NRLM के तहत राज्य के उच्चतम एवं न्यूनतम उपलब्धि वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Banks as on 15.11.2023					Low Performing Major Banks as on 15.11.2023				
S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disb against Target	S. No.	Particulars	Target A/c	Disbursed A/c	% Disb against Target
1	INDIAN BANK	2200	2637	119.86	1	PUNJAB AND SIND BANK	0	0	0.00
2	UCO BANK	1030	902	87.57	2	RSCB	3300	164	4.97
3	CANARA BANK	1050	778	74.10	3	UNION BANK OF INDIA	2000	419	20.95
4	BANK OF MAHARASHTRA	90	56	62.22	4	BANK OF INDIA	2500	600	24.00
5	BRKGB	34710	20255	58.35	5	CENTRAL BANK OF INDIA	1530	435	28.43
6	HDFC BANK LTD	12470	7128	57.16	6	PUNJAB NATIONAL BANK	7500	2550	34.00
7	IDBI BANK LTD	100	47	47.00	7	INDIAN OVERSEAS BANK	30	11	36.67
8	BANK OF BARODA	25000	10756	43.02	8	STATE BANK OF INDIA	18500	6965	37.65

कम प्रगति करने वाले सभी बैंकों से योजनान्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: पंजाब और सिंध बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

Bank wise pendency of SHG Saving & Loan applications

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने सूचित किया कि दिनांक 31.10.2023 तक राज्य में शाखा स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के **10,007** बचत खातों के आवेदन**, 13,110** ताज़ा ऋण आवेदन**, 4**,**987** ऋण आवेदन नवीनीकरण हेतु अतः कुल **18**,097 कुल ऋण आवेदन लंबित हैं।

सभी बैंकों से अनुरोध है कि अपनी शाखाओं को स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते जल्द से जल्द खोलने एवं लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश प्रदान करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Performance under Govt. Sponsored Programmes during FY 2023-24

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राज्य में प्रगति से सदन को निम्नानुसार अवगत कराया-

Sr.	Name of Scheme	Targets (No.)	No. of appl. Spon.	No. of appl. Sanc.	No. of appl. Disb.	No. of appl. pending	% Ach
1	Prime Minister's Employment Generation Programme(PMEGP) (as on 16.11.23)	114.55 Cr (MM)	4671 No. 290.38 (MM)	2011 No. 163.47 Cr (MM)	978 No. 77.05 Cr (MM)	1498 No. 92.55 Cr (MM)	142.7
2	Agriculture Infrastructure Fund (AIF) (as on 18.11.23)	3540.47 Cr	865.27 Cr	446.70 Cr	101.22 Cr	203.22 Cr	12.62
3	PM Formalization of Micro food processing Enterprises (PMFME) (as on 18.11.23)	2946	357	120	90	151	4.08
4	NationalUrban Livelihood Mission (NULM) – Individuals & Group (as on 20.11.23)	2500	2982	1544	1483	1438	61.76
5	NationalUrban Livelihood Mission (NULM) – SHG (as on 20.11.23)	1500	1465	579	557	886	38.60
6	Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojna (IGSCCY) (as on 30.09.23)	500000	470123	245069	245069	225054	49.01
7	Mukhya Mantri Laghu Udyog Prothsahan Yojana (MLUPY) (as on 30.09.23)	10780	14438	4669	4019	8934	43.31
8	Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana – 2022 (BRUPY) (as on 30.09.23)	1500	3327	510	475	2315	34.0
9	Mukhya Mantri Yuwa Udyog Prothsahan Yojana (MYUPY) (as on 31.10.23)	5000	529	58	41	469	1.16
10	Indira Mahila Shakti Udyam Protshan Yojna (IMSUPY) (as on 30.09.23)	1500	4824	715	497	3709	47.67

सहायक महाप्रबंधक, **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने संबन्धित विभाग से अनुरोध किया कि BRUPY हेतु ऑनलाइन पोर्टल जल्द से जल्द विकसित करावें।

(कार्यवाही: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार)

Pradhan Mantri Mudra Yojna:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 17.11.2023 तक **रु 18,485.70 करोड़** के लक्ष्य के सापेक्ष **8,75,471** खातों में **रु 9,972.23 करोड़ (53.95%)** का ऋण वितरण किया गया।
दिनांक 17.11.2023 तक श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

Sr. No.	Category	No. of A/c's	Disbursed Amt.
1	Shishu	5,44,736 (62%)	1,901.65
2	Kishore	2,86,853 (33%)	4,296.61
3	Tarun	43,882 (5%)	3,773.97
	Total	**8,75,471 (100%)**	**9,972.23**

सभी बैंकों से योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Stand Up India Scheme (SUI)

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना की शुरुआत से दिनांक 16.11.2023 तक राज्य में **10,652** आवेदनों में राशि **रु. 2,396.49 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए एवं **5,324** खातों में **रु 991.90 करोड़** का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 16.11.2023 तक **रु. 352.99 करोड़** के **1,550** आवेदन स्वीकृत किए गए एवं **343** खातों में **रु 76.99 करोड़** का ऋण वितरण किया गया।

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्रत्येक डीएलआरसी/डीसीसी बैठक में नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

बैंकों से स्वीकृत किए गए ऋणों में ऋण वितरण करने एवं स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम ऋण कवर करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 16.11.2023 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

Bank-wise PMEGP progress as on 16.11.2023										(Amt. Rs. In Cr.)		
Sr. No.	MM Targets for F.Y. 23-24	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank			Margin Money Claimed			MM Disbursed		
		No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach	No of Prj.	MM Involve	% Ach
A	**114.55**	4671	290.38	2011	163.47	**142.70**	1778	136.52	**119.17**	978	77.05	**67.26**

PMEGP के अंतर्गत अधिकतम एवं न्यूनतम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Banks under as on 16.11.2023					Lowest Performing Banks under as on 16.11.2023				
Sr. No.	Banks	Targets FY 2023-24 (Rs. In Crs)	MM Claim (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Claim	Sr. No.	Banks	Targets FY 2023-24 (Rs. In Crs)	MM Claim (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Claim
1	BANK OF BARODA	13.11	44.88	342.25	1	AU SMALL FIN BANK	1.28	0.00	0.00
2	UCO BANK	5.13	10.70	208.69	2	AXIS BANK LTD	1.76	0.00	0.00
3	CANARA BANK	5.74	11.62	202.55	3	HDFC BANK	4.68	1.20	25.66
4	PUNJAB NATIONAL BANK	11.49	16.82	146.39	4	ICICI BANK LIMITED	5.25	2.20	41.81
5	CENTRAL BANK OF INDIA	4.85	6.30	129.85	5	STATE BANK OF INDIA	20.28	9.74	48.03
6	IDBI BANK	1.76	2.28	129.44	6	BANK OF MAHARASHTRA	1.91	1.08	56.26
7	UNION BANK OF INDIA	6.40	7.20	112.57	7	RMGB	6.08	3.84	63.10
8	PUNJAB AND SIND BANK	1.36	1.37	100.22	8	KOTAK MAHINDRA BANK	0.79	0.53	66.29
Source: PMEGP Portal									

योजनांतर्गत असराहनीय प्रदर्शन वाले बैंकों से इस वित्तीय वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरएमजीबी एवं कोटक महिंद्रा बैंक)

PMFME Scheme

दिनांक 18.11.2023 तक PMFME के तहत एजेंसी-वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Bank Wise Progress under PM FME for FY 2023-24 as on 18.11.2023 (Amt. in Cr.)													
S. N.	NAME OF BANKS	Individual Unit Target	Application Received		Application Sanctioned		Application Disbursed		Application Rejected		Pending Applications		%age Achievement
		A/c	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	
A	PUBLIC SECTOR BANK	1838	228	61.27	83	14.70	60	8.53	75	19.78	70	26.79	4.52
B	PRIVATE SECTOR BANK	570	79	24.50	19	3.15	14	2.31	5	1.19	55	20.16	3.33
C	RRB BANK	399	31	6.47	8	1.30	7	1.16	4	0.65	19	4.52	2.01
D	CO-OPERATIVE BANK	50	9	0.12	9	0.12	9	0.12	0	0.00	0	0.00	18.00
E	SMALL FINANCE BANK	89	10	3.18	1	0.15	0	0.00	2	0.48	7	2.55	1.12
	GRAND TOTAL	**2946**	**357**	**95.54**	**120**	**19.42**	**90**	**12.13**	**86**	**22.10**	**151**	**54.02**	**4.07**

बैंकों से PMFME के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 18.11.2023 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Agriculture Infrastructure Fund as on 31.07.2023							
Sr. No.	Bank	Application forwarded to Banks	Application Sanctioned by Banks	Out of Sanctioned App. Approved by Bank &	Out of Sanctioned App. Disbursed By Bank	Application Pending with Bank (Verified by PMU)	Application Pending with Applicant

						pending for Disb.							
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
A	PUBLIC SECTOR BANKS	2054.19	551	527.38	323	330.91	200	264.30	123	66.61	96	63.93	16.11
B	PRIVATE SECTOR BANKS	686.37	246	290.96	115	100.39	74	72.80	41	27.59	61	116.04	14.63
C	RRB	545.47	26	18.76	19	11.28	6	6.71	13	4.56	6	6.67	2.07
D	CO-OP SECTOR BANKS	182.02	6	2.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	1.04	0.00
E	SMALL FINANCE BANK	72.42	13	26.12	3	4.13	1	1.67	2	2.46	7	15.50	5.70
	RAJASTHAN TOTAL	**3540.47**	**843**	**865.27**	**460**	**446.70**	**281**	**345.48**	**179**	**101.22**	**174**	**203.22**	**12.62**

बैंकों से कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत स्वीकृत किए हुये ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण करवाने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojna (IGSCCY)

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य में **5,00,000** के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.09.2023 तक कुल प्राप्त **4,70,123** आवेदनों के सापेक्ष कुल (IGSCCY+ PMMY) **2,45,069** आवेदनों में **रु 694.15 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है जो कि लक्ष्य का **49.01%** है

IGSCCY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Major Banks as on 30.09.2023							Low Performing Major Banks as on 30.09.2023						
S. No.	Particulars	Target	Disbursed			% ach	S. No.	Particulars	Target	Disbursed			% ach
			IGSCCY	PMMY	Total					IGSCCY	PMMY	Total	
		A/c	A/c	A/c	A/c				A/c	A/c	A/c	A/c	
1	INDUSIND BANK	7708	0	103293	103293	1340.08	1	KOTAK MAHINDRA BANK	5357	0	0	0	0.00
2	AXIS BANK	13742	16	17586	17602	128.09	2	IDFC FIRST BANK LIMITED	1934	0	3	3	0.16
3	HDFC BANK	20448	742	23497	24239	118.54	3	EQUITAS SMALL FINANCE BANK	2601	0	0	0	0.00
4	STATE BANK OF INDIA	99079	29967	13343	43310	43.71	4	BANDHAN BANK LIMITED	1745	0	0	0	0.00
5	BANK OF BARODA	47887	11436	8567	20003	41.77	5	YES BANK	6658	2	0	2	0.03
6	PUNJAB NATIONAL BANK	53550	6221	2523	8744	16.33	6	IDBI BANK	5587	83	1	84	1.50
7	BANK OF MAHARASHTRA	4029	572	37	609	15.12	7	INDIAN BANK	13227	458	119	577	4.36
8	UCO BANK	18275	1689	1054	2743	15.01	8	ICICI BANK LIMITED	34881	1753	133	1886	5.41
9	CANARA BANK	23510	1448	1567	3015	12.82	9	CENTRAL BANK OF INDIA	17466	856	141	997	5.71
10	INDIAN OVERSEAS BANK	7342	846	64	910	12.39	10	AU SMALL FINANCE BANK	11397	664	26	690	6.05

योजनांतर्गत कम प्रगति वाले बैंकों से चालू वित्तीय वर्ष में बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक, इक्वीटास स्माल फ़ाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

सभी सदस्य बैंकों से योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का अनुरोध है। साथ ही स्वीकृत किए हुये आवेदनों में समय से ऋण वितरण करने एवं पोर्टल पर अद्यतित करने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Mukhya Mantri Laghu udyog Protsahan Yojna (MLUPY)

दिनांक 30.09.2023 तक MLUPY योजनांतर्गत प्रगति निम्नानुसार है-

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana									
S. No.	Particulars	Progress as on 30.09.2023 (Amt. in Rs. Cr.)							
		Target	Forwarded (FI)		Sanction (FI)		Disbursement		% Ach
		A/c	A/c	Amt	A/c	Amt	A/c	Amt	
A	Rajasthan	10,780	14,438	3,445.57	4,669	1,004.87	4,019	572.82	43.31

MLUPY के अंतर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंकों की सूची निम्नानुसार है-

Top Performing Major Banks as on 30.09.2023						Low Performing Major Banks as on 30.09.2023					
S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Disbursement against Target	S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Disbursement against Target
		Total App.	Total App.	Amt (In Cr)				Total App.	Total App.	Amt (In Cr)	
1	UNION BANK OF INDIA	597	362	27.98	60.64	1	EQUITAS SMALL FINANCE BANK	424	2	0.17	0.47
2	UCO BANK	442	249	32.46	56.33	2	YES BANK	80	1	0.25	1.25
3	PUNJAB NATIONAL BANK	1151	598	63.82	51.95	3	INDUSIND BANK	75	4	0.40	5.33
4	CANARA BANK	444	229	29.95	51.58	4	BANK OF MAHARASHTRA	111	8	0.65	7.21
5	BRKGB	1026	528	55.26	51.46	5	PUNJAB AND SIND BANK	110	9	0.78	8.18
6	IDBI BANK	179	82	7.98	45.81	6	ICICI BANK LIMITED	579	54	46.66	9.33
7	BANK OF INDIA	388	163	20.46	42.01	7	INDIAN BANK	278	30	7.17	10.79
8	AU SMALL FINANCE BANK	396	163	29.18	41.16	8	AXIS BANK	194	53	16.70	27.32
9	BANK OF BARODA	1076	438	82.98	40.71	9	CENTRAL BANK OF INDIA	374	105	13.90	28.07

कम प्रगति करने वाले बैंकों से वित्तीय वर्ष 2023-24 में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अनुरोध है।

(कार्यवाही: ईक्विटास स्माल फ़ाइनेंस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है वे जल्द से जल्द आवेदनों का निपटारा करें और सभी स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरण करें। साथ ही समय से पोर्टल पर प्रगति को अद्यतित करें और सब्सिडी का दावा प्रेषित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivaasi Udyam Protsahan Yojna- 2022 (BRUPY)

दिनांक 30.09.2023 तक उक्त योजनान्तर्गत प्रगति निम्नानुसार है-

Progress under Dr. Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana – 2022 (BRUPY) as on 30.09.2023 (Amt. in Cr.)												
Sr. no.	Particulars	Target	Forwarded (FIs)		Sanction (FIs)			Disbursement			Pending (FIs)	
		No. of App.	Total App	Amt.	Total App	Amt.	%age Ach.	Total App	Amt.	%age Ach.	Total App.	Amt.
A	Rajasthan – All Bank	1,500	3,227	656.28	510	147.16	34.00	475	118.99	31.67	2,315	427.59

उक्त योजनान्तर्गत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Banks as on 30.09.2023						Low Performing Major Banks as on 30.09.2023					
S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Ach	S. No.	Particulars	Target	Disbursement		% Ach
		No. of App.	No. of App.	Amt (In Cr)				No. of App.	No. of App.	Amt (In Cr)	
1	BRKGB	105	81	13.68	77.14	1	Yes Bank	23	0	0.00	0.00
2	AU SMALL Finance Bank	28	18	4.60	64.29	2	Bank of Maharashtra	27	1	4.40	3.70
3	Bank of Baroda	166	70	30.59	42.17	3	ICICI Bank	77	3	1.60	3.90
4	Central Bank of India	60	23	4.36	38.33	4	Punjab & Sind Bank	21	1	0.58	4.76
5	Punjab National Bank	163	62	9.45	38.04	5	HDFC Bank	73	4	1.32	5.48
6	Bank of India	65	24	3.82	36.92	6	Indian Bank	52	3	1.32	5.77
7	IDBI Bank	29	10	0.85	34.48	7	Indian Overseas Bank	29	4	0.57	13.79
8	UCO Bank	80	26	7.36	32.50	8	Axis Bank	23	4	2.40	17.39

कम प्रदर्शन वाले उक्त बैंकों से अनुरोध है कि योजनांतर्गत अपने प्रदर्शन में सुधार करें।

(कार्यवाही: यस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, एचडीएफ़सी बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एक्सिस बैंक)

सभी बैंकों से अनुरोध है कि लंबित आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण करें एवं स्वीकृत आवेदनों में जल्द से जल्द ऋण वितरण कर सब्सिडी क्लेम करें। साथ ही योजनान्तर्गत प्रगति पोर्टल पर अद्यतित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Mukhya Mantri Yuwa Udyog Protsahan Yojana (MYUPY)

दिनांक 31.10.2023 तक MYUPY योजनांतर्गत प्रगति निम्नानुसार है-

Mukhyamantri Yuwa Udhyog Protsahan Yojana								
S. No.	Particulars	Progress as on 31.10.2023 (Amt. in Rs. Cr.)						
		Target	Forwarded	Sanction		Disbursement		%age Ach.
		A/c	A/c	A/c	Amt	A/c	Amt	
A	Rajasthan	5,000	529	58	11.15	41	6.62	1.16

सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है वे जल्द से जल्द आवेदनों का निपटारा करें और सभी स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरण करें। साथ ही समय से प्रगति को अद्यतित करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojna (IMSUPY)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 30.09.2023 तक **497** लाभार्थियों को **रु. 39.15 करोड़ (33.13%)** का ऋण वितरण किया गया है।

IMSUPY के तहत सबसे अधिक एवं सबसे कम प्रगति करने वाले बैंक निम्नानुसार हैं-

Top Performing Major Bank as on 30.09.2023						Low Performing Major Bank as on 30.09.2023					
Sr. No.	Bank Name	Targets	Disbursed Applications			Sr. No.	Bank Name	Targets	Disbursed Applications		
			A/c	Amt	% Ach				A/c	Amt	% Ach
1	BRKGB	141	271	18.74	192.20	1	PUNJAB AND SIND BANK	19	0	0.00	0.00
2	UCO BANK	58	25	1.70	43.10	2	AU SMALL FINANCE BANK	22	0	0.00	0.00
3	CANARA BANK	67	26	2.83	38.81	3	KOTAK	32	1	47.00	3.13
4	RMGB	80	27	1.86	33.75	4	INDIAN OVERSEAS BANK	31	1	2.85	3.23
5	BANK OF INDIA	54	15	1.59	27.78	5	BANK OF MAHARASHTRA	26	1	1.95	3.85
6	UNION BANK OF INDIA	71	16	1.28	22.54	6	HDFC BANK	62	3	66.56	4.84
7	CENTRAL BANK OF INDIA	59	12	1.47	20.34	7	INDIAN BANK	40	2	70.29	5.00
8	BANK OF BARODA	163	30	2.72	18.40	8	ICICI BANK LIMITED	72	4	127.7	5.56

कम प्रगति वाले बैंकों से प्रदर्शन सुधारने का अनुरोध है।

(कार्यवाही: पंजाब और सिंध बैंक, एयू स्माल फ़ाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिया ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफ़सी बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक)

सभी बैंकों से अनुरोध है कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें एवं स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरित कर सब्सिडी क्लेम करें।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक)

DAY- National Urban Livelihood Mission (NULM)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत **2,500** व्यक्तियों एवं **1,500** स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 10.10.2023 तक **1483 (59.32%)** व्यक्तियों एवं **557 (37.13%)** स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया है।

Education Loan

बैंकों द्वारा वर्ष 2023-24 में सितंबर, 2023 तिमाही तक राज्य में **9,011** छात्रों को राशि **रू 306.84 करोड़** के शिक्षा ऋण वितरित किए गए हैं एवं दिनांक 30.09.2023 तक **42,392** खातों में **रु 2,684.54** करोड़ की राशि outstanding है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30.09.2023 तक **994** खातों में **रु 35.11 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है।

Sector wise NPA Position as on 30th September, 2023

राज्य में क्षेत्र वार NPA निम्नानुसार है-

कुल- 3.66%

कृषि- 8.21%

एमएसएमई- 2.95%

अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 1.95%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 5.10%

कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के NPA का क्षेत्र वार वर्गिकरण निम्नानुसार है-

कुल कृषि- 69.80%

कुल एमएसएमई- 25.31%

कुल अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र- 4.89%

Comparison chart of NPA (%)

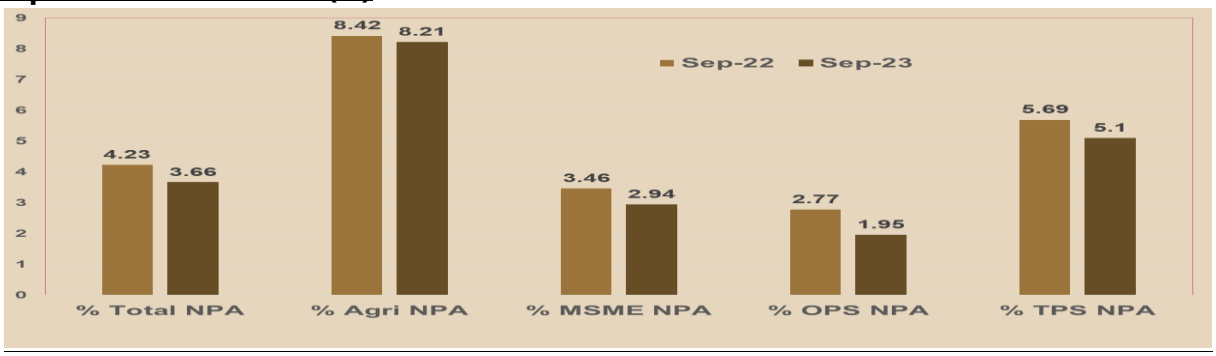

इसके पश्चात LDM Rating Matrix के तहत सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले निम्न 3 अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को पुरस्कृत किया गया-

- **प्रथम स्थान**- श्री एस.एस. मीणा, अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, दौसा (डीसीसी संयोजक बैंक: यूको बैंक)
- **द्वितीय स्थान**- श्री सोराज मीणा, अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, भीलवाड़ा (डीसीसी संयोजक बैंक: बैंक ऑफ बड़ौदा)
- **तृतीय स्थान**- श्री सुरेश उपाध्याय, अग्रणी ज़िला प्रबन्धक, राजसमंद (डीसीसी संयोजक बैंक: भारतीय स्टेट बैंक)

उप-महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैठक में उपस्थित मंचासीन सदस्यों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंक तथा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक का समापन किया।